[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 3/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. .... (अ).--केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय 2 के शीर्षक में, "संयोजन नियम" शब्दों के स्थान पर, "संयोजन उद्ग्रहण" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के क्रम संख्यांक (3) के सामने की सारणी में, स्तम्भ (3) में "माल" शब्दों के स्थान पर, "माल और सेवा" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम में नियम 8 में, उप नियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा ।

5. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**11. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण--** (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों को रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके किसी ऐसे कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक ऐसे कारबार के संबंध में पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा (2) के खंड (85) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार के स्थान हैं ;

(ख) उसके किसी भी कारबार के स्थानों के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करने दिया जाएगा, यदि वह किसी अन्य कारबार के स्थान के लिए धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है ;

(ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार के स्थान ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और यथास्थिति, ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक या प्रदाय का बिल जारी करेंगे ।

स्पष्टीकरण--खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार का स्थान, जिसे पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार के स्थान उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे ।

(2) कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का चयन कर रहा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक कारबार के स्थान के संबंध में **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 01** में पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।"।

6. उक्त नियम में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"21क. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन--(1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 20 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने का आवेदन किया है, वहाँ नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से या उस तारीख, जिसको कि रद्दकरण चाहा गया है, जो भी पश्चात् की हो, से रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया समझा जाएगा।

(2) जहां किसी समुचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 या नियम 21 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के दायित्वाधीन है, उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, वह ऐसे व्यक्ति का उस तारीख से प्रभावी, जो कि इसके द्वारा अवधारित की जाए, रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगा।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन निलंबित किया गया है, निलंबन की कालावधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और धारा 39 के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

(4) नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का निलंबन प्रतिसंहरित हुआ समझा जाएगा और ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसा निलंबन प्रभावी हुआ था।"

7. उक्त नियम में नियम 41 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"41 क. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने पर प्रत्यय का अंतरण--(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने नियम 11 के उपबंधों के अनुसार कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, और वह अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े अनुपयोजित कर प्रत्यय को या तो पूर्णतः या भागतः किन्हीं या सभी नई रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों - को अंतरण करने का आशय रखता है तो, इलेक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क** में ब्योरा या तो सीधे या इसके लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसा अलग रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के तीस दिन की कालावधि के भीतर सौंपेगा :

परंतु यह कि नई रजिस्ट्रीकृत इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण के समय उनके द्वारा धारित आस्तियों के मूल्य के अनुपात में वह इनपुट कर प्रत्यय अंतरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 'आस्तियों के मूल्य' से अभिप्रेत है कारबार के वह कुल आस्तियों का मूल्य चाहे उस पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है या नहीं ।

(2) नया रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरिती)**,** सामान्य पोर्टल पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरक) द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क में,** विनिर्दिष्ट अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा ।"।

8. उक्त नियम के नियम 42 के उपनियम (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में, "प्रविष्टी 84" शब्द और अंकों के पश्चात्, "और प्रविष्टी 92क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 43 में,--

(क) उपनियम (1) के खंड (छ) के स्पष्टीकरण में, "प्रविष्टी 84" शब्द और अंकों के पश्चात् "और प्रविष्टी 92क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

10. उक्त नियम के नियम 53 में,--

(क) उपनियम (1) में "धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक" शब्दों के पश्चात् "और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:--

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर;

(ख) दस्तावेज की प्रकृति ;

(ग) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ;

(घ) दस्तावेज जारी करने की तारीख;

(ङ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो;

(छ) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या;

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम; और

(झ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

11. उक्त नियम में, नियम 80 में, उपनियम (3) में, "प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "उनके अलावा, जो धारा 35 की उपधारा (5) के परंतुक में निर्दिष्ट हैं" शब्दों, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 83 में,--

(क) उपनियम (1) के खंड (क) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर, "तीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(8) कोई माल और सेवा कर व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से निम्नलिखित सभी या किन्हीं क्रियाकलापों को कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो,--

(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे देना ;

(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अंतिम विवरणी देना ;

(ग) इलैक्ट्रानिक जमा खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना ;

(घ) प्रतिदाय के लिए दावा करना ;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना ;

(च) ई-वे बिल जनित करने के लिए सूचना देना ;

(छ) **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04** में चालान के ब्यौरे देना ;

(ज) नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना ; और

(झ) समझौता स्कीम के अधीन कर के संदाय या उक्त स्कीम से प्रत्याहरण की सूचना फाइल करना :

परंतु जहां प्रदाय के दावे से संबंधित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन या जहां समझौता स्कीम के अधीन कर संदाय के लिए या ऐसी स्कीम से प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से पुष्टिकरण की ईप्सा की जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा और ऐसे आवेदन पर आगे की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है ।"।

13. उक्त नियमों के नियम 85 के उपनियम (3) में, "धारा 49" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 49क या धारा 49ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के नियम 86 के उपनियम (2) में, "धारा 49" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 49क या धारा 49ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

15. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) इस प्रभाव की घोषणा कि उस दशा में जहां किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मद्दे प्रतिदाय किया जाता है, वहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा ।"।

16. उक्त नियमों के नियम 91 में,--

(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उचित अधिकारी द्वारा, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04** में जारी आदेश को पुन: विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी ।";

(ख) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त संदाय सूचना जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05** में संदाय सूचना को पुन: विधिमान्यता की अपेक्षा नहीं होगी ।"।

17. उक्त नियमों के नियम 92 के उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उचित अधिकारी द्वारा, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में जारी आदेश को पुन: विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त संदाय सूचना जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05** में संदाय सूचना को पुन: विधिमान्यता की अपेक्षा नहीं होगी ।"।

18. उक्त नियमों के नियम 96क में,--

(क) पार्श्व शीर्ष में, के "निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय" शब्दों के स्थान पर, "का निर्यात" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात्, "या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

19. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** के अनुदेश 12 में, "कारबार शीर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कारबार के स्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

20. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-17** के अंत में, निम्नलिखित "टिप्पण" अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**टिप्पण :** .... (तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है ।"।

21. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** के अंत में, निम्नलिखित "टिप्पण" अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**टिप्पण :** .... (तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है ।"।

22. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क

[नियम 41क देखें]

धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अनुसरण में आईटीसी के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	अंतरक का व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	अंतरिती का व्यापार नाम, यदि कोई हो	

7. अंतरित की जाने वाली आईटीसी के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित आईटीसी की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित आईटीसी की रकम
1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		
एकीकृत कर		
उपकर		

सत्यापन :

मैं .... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर...............................

नाम...

पदनाम/प्रास्थिति...

तारीख.......दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

1. अंतरक से वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निर्दिष्ट जिसका किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मौजूदा रजिस्ट्रीकरण है।
2. अंतरिती से वह कारबार का स्थान निर्दिष्ट है जिसके लिए नियम 11 के अधीन पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया है।"।

23. उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में सारणी में क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"6	ई-वे बिल बनाने के लिए सूचना देना	
7	**प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04** में चालान के ब्यौरे देना	
8	नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या निरस्त करने के लिए आवेदन फाईल करना	
9	संघटक स्कीम के अधीन कर संदाय करने के लिए या उक्त स्कीम से वापसी के लिए जानकारी फाईल करना"।	

24. उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटीआर4-** में –

(क) खंड 6 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगीअर्थात् ,:-

"कर की दर	कुल आवर्त	में रिपोर्ट किए गए (2) आवर्त में से सेवाओं का आवर्त	संघटक कर रकम	
			केन्द्रीय कर	राज्य /संघराज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5";

(ख) खंड में सारणी के (7) स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगीअर्थात् , :-

तिमाही	दर	मूल ब्यौरे		केन्द्रीय कर	राज्य कर	पुनरीक्षित ब्यौरे			
		कुल आवर्त	में रिपोर्ट (3) किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त			कुल आवर्त	में रिपोर्ट (7) किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25. उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटी आरएफडी01-** में)(2)89 नियम ,चके अधीन घोषणा के स्थान (अर्थात् ,पर निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी:-

घोषणा)(2)89 नियम)च(

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत /आने वाले माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम /प्रास्थिति"।

26. उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटी आरएफडी01-क** में)(2)89 नियम ,चके अधीन घोषणा के स्थान (अर्थात् ,पर निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी:-

घोषणा)(2)89 नियम)च(

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आने वाले माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में विशेष आर्थिक जोन इकाई विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर :
नाम:
पदनाम /प्रास्थिति :

27. उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटी एपीएल-01** में,

(क) खंड अर्थात् ,के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा 15 :-

"15 स्वीकृत रकम के संदाय और पूर्व जमा के ब्यौरे:--

(क) अपेक्षित संदाय के ब्यौरे :-

<table>
<tr><th colspan="2">विशिष्टियाँ</th><th>केन्द्रीय कर</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर</th><th>एकीकृत कर</th><th>उपकर</th><th colspan="2">कुल रकम</th></tr>
<tr><td>स्वीकृत रकम (क)</td><td>कर/ उपकर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>< योग ></td><td rowspan="2">< ग ></td></tr>
<tr><td></td><td>ब्याज</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>< योग ></td></tr>
<tr><td>एस जी ,सी जी एस टी (ख) एस टी या उपकर के संबंध में प्रत्येक से करोड़ रु0 25 अनधिक या आई जी एस टी 50 के संबंध में करोड़ रुसे 0 अनधिक और उपकर के संबंध पूर्व जमा करोड़ रु0 25 में 10 विवादित कर का)%(/ उपकर ।</td><td>शास्ति
फीस
अन्य प्रभार
कर/उपकर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>< योग >
< योग >
< योग >
< योग ></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

(ख) एसजीएस ,सीजीएसटी)टी या उपकर से संबंध में करोड़ रूपये से अनधिक या 25आईजीएसटी के संबंध में करोड़ रूपये से अनधिक विवादित 25 करोड़ रूपये से अनधिक अथवा उपकर के संबंध में 50 10 कर या उपकर के% पूर्व जमास्वीकृत जमा और पूर्व जमा के (संदाय के ब्यौरे

क्रम सं.	वर्णन	संदेय कर	नकद/क्रेडिट लेजर के माध्यम से संदत्त	प्रत्यय प्रविष्टि सं.	संदत्त कर की रकम			
					केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.1	एकीकृत कर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					
.2	केन्द्रीय कर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					
.3	राज्य/संघ		नकद लेजर					

	राज्य क्षेत्र कर		प्रत्यय लेजर					
.4	उपकर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					

(ग) संदेय और संदत्त ब्याज विलंब फीस और अन्य रकम ,शास्ति ,

क्रम सं.	वर्णन	संदेय रकम				प्रत्यय प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.1	ब्याज									
2	शास्ति									
.3	विलंब फीस									
.4	अन्य विनिर्दिष्ट) (करें									

अर्थात ,निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा ,के पश्चात् 17 खंड (ख):-

“18. खंड 15 के उपखंड (क) में सारणी (के मद (क)) में वर्णित (केवल स्वीकृत रकम) संदत्त एकीकृत कर के प्रदाय स्थान वार ब्यौरे, यदि कोई हों

प्रदाय का स्थान राज्य)/संघ राज्य क्षेत्र का नाम(	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7"।
	स्वीकृत रकम [खंड 15 के उपखंड (क) में सारणी (के मद (क)) में वर्णित]					

28. उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटी एपीएल–,05**

-,में 14 खंड (क)

(i) उपखंड (क) में सारणी में "(विवादित कर का 20%)" कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "(सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में 50 करोड़ रु0 प्रत्येक से अनधिक अथवा आई जी एस टी के संबंध में 100 करोड़ रू0 और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रू0 से अनधिक विवादित कर/उपकर का 20%)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ख) में "(विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 20% पूर्व जमा)" कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "(सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में 50 करोड़ रु0 प्रत्येक से अनधिक अथवा आईजी एसटी के संबंध में 100 करोड़ रू0 और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रू0 से अनधिक विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 20% पूर्व जमा)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् 14:-

"15. खंड 14 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित (केवल स्वीकृत रकम) संदत्त एकीकृत कर के प्रदाय स्थान वार ब्यौरे, यदि कोई हों"

प्रदाय का स्थान राज्य)/संघ राज्य क्षेत्र का नाम(	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7 "
	स्वीकृत रकम [खंड 14 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित]					

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र ,2 भाग ,असाधारण ,खंड ,4उपखंड)i) में अधिसूचना संख्या सा ,(अ)610 .नि.का.तारीख 2017 ,जून 19द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा .नि.का. ,(अ)1251तारीख 2018 ,दिसंबर 31द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 74/-2018केन्द्रीय कर तारीख , 2018 ,दिसंबर 31द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।